रणनीतिक संचार संदर्भ सामग्री - भाग 10

# तथ्य और साक्ष्य क्या होते हैं?

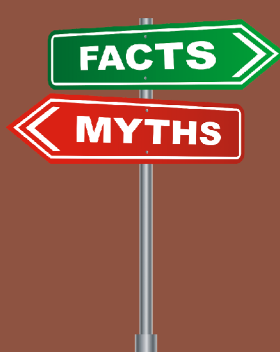


VIKAS SAMVAD

**लेखन—संपादन समूह**

सचिन कुमार जैन, पूजा सिंह, राकेश कुमार मालवीय, विश्वंभर त्रिपाठी,
संदीप नाईक, निधि तिवारी, जावेद अनीस, राजेश भदौरिया,
सत्यम पांडेय, उपासना बेहार, अनिल धीमान,
कार्तिक शर्मा, पिंकी वर्मा

**मार्गदर्शन**

चिन्मय मिश्र, गुरुशरण सचदेव

किसी भी समुदाय, विषय अथवा परिस्थिति के बारे में चर्चा करते समय तथ्यों एवं साक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। उनकी मौजूदगी बातों को विश्वसनीय और गंभीर बनाती है।

तथ्य कई प्रकार के होते हैं: धारणा आधारित तथ्य और साक्ष्य प्रायः गलत साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर यह मान लेना कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोग नशे के आदी और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। यह एक धारणा है जो सामाजिक-आर्थिक असमानता से उपजी है। अवलोकन आधारित साक्ष्य कुछ हद तक सही होते हैं लेकिन उनकी सर्वेक्षण एवं तथ्यों के साथ पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। वे साक्ष्य सबसे बेहतर होते हैं जिन्हें तथ्यों की कसौटी पर कसा जा सकता है।

साक्ष्यों एवं प्रमाणों को स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्हें सरलतम रूप में पेश किया जाना चाहिए ताकि सभी समझ सकें। कई बार इन्हें जानबूझकर कठिन बनाया जाता है ताकि आसानी से और सटीक निष्कर्ष न निकाला जा सके। प्रयास यह होना चाहिए कि साक्ष्यों को सहज और बोधगम्य बनाया जाए। किसी अध्ययन को प्रामाणिक बनाने के लिए सरकारी आंकड़ों के अलावा स्वतंत्र आंकड़ों और फैक्ट फाइंडिंग की भी मदद ली जानी चाहिए।

# तथ्य और साक्ष्य क्या होते हैं?

सामाजिक नागरिक संस्था के रूप में हमें अपने विषय को तथ्यों और साक्ष्यों के जरिए जानना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 'सामान्यीकरण' के जाल में फँस रहे हैं। 'सभी लोग लापरवाह हैं', 'सभी नीतियाँ और योजनाएं खराब हैं', 'इस समुदाय के लोग तो आलसी हैं', 'कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाना चाहता है', 'कोई भी परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता है'; क्या हम इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं?

यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि हमने न तो अपने समुदाय का अध्ययन किया है, न ही विषय और समस्या का! यह बहुत जरूरी है कि हम तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपने विषय, समुदाय और स्थिति के बारे में चर्चा करें। विश्वसनीयता और गम्भीरता का यही आधार है।

## तथ्यों/आंकड़ों का महत्व

- यदि मुझे बुखार है तो कोई भी छू कर यह बता सकता है कि मुझे बुखार है, लेकिन मुझे किस स्तर का बुखार है इसका सटीक ब्योरा नहीं दे सकता।
- यदि बुखार का सही-सही स्तर नापना है तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी नाप से बुखार की गम्भीरता की सटीक स्थिति पता चलेगी।
- बुखार का सही-सही स्तर नापना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसी जानकारी से तय होगा कि मुझे कितनी शक्ति की दवा दी जाना चाहिए यानी उपचार तथ्य से तय होता है।
- यदि तापमान पता करने के बाद दी गई दवाओं से भी बुखार कम नहीं होता है। तब खून की जांच की जाती है ताकि बुखार के वास्तविक कारण को जांचा जा सके। खून की जांच से हमें नए तथ्य पता चलते हैं और यह स्पष्ट होता है कि बुखार का कारण मलेरिया है या वायरस संक्रमण है या टाइफाइड है या कुछ और!
- इसका मतलब है कि तथ्यों की खोज के अलग-अलग स्तर भी होते हैं। तथ्य हमें अपने विषय को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने में बहुत अधिक मदद करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति के तीन रूप हो सकते हैं।

## तथ्यों के निर्माण की प्रक्रिया

**धारणा आधारित** – हमने अक्सर कई मंचों पर यह सुना है कि झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले हर 100 में से 70 लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और जुआ आदि खेलते हैं। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपराधिक काम करते हैं। ये लोग हिंसा भी करते हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं देह व्यापार करती हैं। जब हम धारणा तथ्यों की बात करते हैं, तब ये तथ्य वास्तव में वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें सामाजिक-आर्थिक भेदभाव हैं। उसी भेदभाव के प्रभाव के चलते, अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए लोग अपनी धारणा के आधार पर अलग-अलग समूहों या लोगों के चरित्र और स्वभाव की व्याख्या करते हैं। जब हम उनसे पूछेंगे कि 100 में से 70 लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो इस तथ्य का आधार क्या है? क्या यह किसी सर्वेक्षण या अध्ययन के निष्कर्ष हैं? तब हमें पता चलता है कि अपनी धारणा को पुख्ता रूप देने के लिए हमने यह आँकड़ा गढ़ा होता है। फिर बहुत अधिक शराब पीने का मानक क्या है? अक्सर जब हम जिन लोगों, समूह या समाज के खास तबकों से दूर रहते हैं, उन्हें दूर से देखते हैं, उनके बारे में दूसरों से कुछ बातें सुनते रहते हैं, तब वे बातें हमें धारणाएं बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जिनमें तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता है, किन्तु वे तथ्य सही ही हों, यह कभी नहीं होता है। धारणाओं को पुख्ता करने के लिए गढ़े गए तथ्य जांच-परख कर उपयोग में नहीं लाए जाते हैं।

**अवलोकन आधारित** – जब हम किन्हीं स्थितियों को अपने आसपास देख रहे होते हैं। और अपने अवलोकन के आधार पर स्थिति या विषय की व्याख्या का निर्माण करते हैं। मसलन वे काम के सिलसिले में शहर की झुग्गी-बस्ती में अक्सर जाते हैं और देखते रहते हैं कि वहां स्वच्छता नहीं है, नालियां गंदगी से भरी हुई हैं। पीने के साफ पानी के स्रोत भी नहीं है। ऐसे में जब बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों को दस्त या मलेरिया होने की सूचना मिलती है, तब हम व्याख्या करते हैं कि वहां बहुत गंदगी है और पीने का साफ पानी नहीं है, इसलिए इस तरह की बीमारी फैली है। अवलोकन में बहुत हद तक वास्तविकता होती है। लेकिन यह पूरी वास्तविकता का विवरण नहीं देता है। हम जो देखते हैं, उससे हमें विषय के कुछ पक्षों के बारे में समझ बनाने में मदद मिलती है, लेकिन उसे पुख्ता करने के लिए अध्ययन, समुदाय से बातचीत, सर्वेक्षण की जरूरत होती है ताकि हम यह जान सकें कि वास्तव में बीमारी फैलने के कारण वही हैं, जो हमने अवलोकन से जाने हैं या इसके अलावा भी कोई और कारण हैं?

अक्सर यह होता है कि हम 2 गाँवों में 10 बच्चों को देखते हैं, उनमें से 7 बच्चे कमजोर दिखाई देते हैं, तो हम अपनी व्याख्या में कह देते हैं कि हमारे 50 गाँवों के कार्य क्षेत्र में तो 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। क्या यह पूरी तरह से सच माना जा सकता है? हमने जो अवलोकन किया, उसके आधार पर 70 प्रतिशत बच्चों का कुपोषित होना एक तथ्य हो सकता है, लेकिन 50 गाँवों में 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, क्या अपने अवलोकन के आधार पर की गई यह व्याख्या सही मानी जा सकती है?

मान लीजिए हमने अपने अवलोकन के आधार पर यह बात मीडिया प्रतिनिधियों से कही कि इस जिले के इस विकास खंड के 50 गांवों में 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। मीडिया प्रतिनिधि ने आपसे पूछा कि इन 50 गांवों में

5 साल से कम उम्र के कुल बच्चों की संख्या कितनी है? हमने बताया कि 5,670 है। इस आधार पर गणित लगाया कि उनके 70 प्रतिशत के अवलोकन के अनुसार 50 गांवों में कुल 3,970 बच्चे कुपोषित हैं और इसी आंकड़े के आधार पर एक खबर प्रकाशित कर दी। विचार कीजिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

**तथ्य आधारित** – जब हम किसी विषय को बिना किसी पूर्वाग्रह के अच्छे से जानने की इच्छा रखते हैं। जब हम किसी स्थिति या विषय को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखना चाहते हैं, तब हम वास्तविक तथ्यों के माध्यम से विषय को जानते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी स्थिति या विषय को उसी रूप में तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना, जिस रूप में वे वास्तविकता में होते हैं। मसलन हमने अवलोकन किया कि 10 बच्चे ऐसे हैं, जो देखने से कुपोषित लग रहे थे। इससे यह अनुमान लगा कि सम्भवतः इस क्षेत्र में कुपोषण की स्थिति है। इस अवलोकन को परखने के लिए हमने अपने कार्य क्षेत्र को 50 गांवों में 5,670 बच्चों की उम्र, वजन और ऊंचाई-लम्बाई की माप ली और उनके सामाजिक-आर्थिक संदर्भ का अध्ययन किया। जिससे पता चला कि सभी बच्चों में से 26 प्रतिशत बच्चे मध्यम गम्भीर कुपोषित और 12 प्रतिशत अति गम्भीर कुपोषित हैं। इसका मतलब है कि अपने अनुभव, परिकल्पना, जिज्ञासा और अवलोकन को तथ्य/आंकड़ों में अभिव्यक्त करने के लिए वे सर्वेक्षण, केस अध्ययन, शोध, साक्षात्कार सरीखे उपकरणों का उपयोग करते हैं।

हमारे लिए संख्याएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका उपयोग करके हम यह साबित करते हैं कि हम किसी स्थिति या विषय को पूर्वाग्रह, दुराग्रह से बिना किसी आधार के प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं की स्थिति प्रस्तुत करता है और अपने जीवन की व्याख्या करता है तो वह स्वयं तथ्य का स्रोत होता है और उसकी भावनाएं भी तथ्य के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं क्योंकि उसने उन्हें भोगा है। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी स्थिति की भावनात्मक व्याख्या करे तो सम्भवतः उस पर बहस होगी। बिना तथ्यों के कही गई बात कम प्रामाणिक मानी जाती है। अपनी बात को प्रामाणिक बनाने के लिए तथ्यों का उपयोग जरूरी होता है।

## साक्ष्य क्या है?

- वह सब जो किसी स्थिति, व्यक्ति, घटना या विषय के संदर्भ में नीति, कथन, संस्मरण, तथ्य, आंकड़े या सूचना के रूप में अथवा किसी खास परिस्थिति के साथ रहने वाले लोगों के बयानों के रूप में अथवा उनके अनुभवों के आधार पर शोध या विश्लेषण से निकलकर आता हो।
- इसकी सबसे खास बात यह है कि इन तथ्य आधारित साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सकता हो।

## स्वरूप

- सर्वेक्षण
- लिखित या .मौखिक बयान
- अनुभव लेखन/ दैनिक डायरी
- अधिकारी/ अधिकृत दस्तावेज
- नीति दस्तावेज
- शोध रिपोर्ट
- फोटो/ वीडियो
- प्रक्रिया दस्तावेज

## चरण

1. एक लक्ष्य होना (स्पष्टता)
2. समस्या/प्रश्न/विषय के विवरण के बारे में स्पष्ट होना
3. समस्या के समाधान/उत्तर या बुनियादी बातों के बारे में स्पष्ट होने के नाते
4. सबूत ढूंढना (एक, दो और तीन अभिसरण); सूचना के प्रामाणिक स्रोत के बारे में स्पष्ट हो
5. जांच, पुनर्जांच और क्रॉस चेक; जांच के माध्यम से (तथ्य और सबूत) विश्वास का निर्माण
6. साक्ष्यों का परीक्षण और कार्यान्वयन
7. प्रसार, निष्कर्षों का साझा किया जाना

## प्रमाण क्यों जरूरी हैं और इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है?

चाहे मुद्दा जमीनी हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रमाण होना जनपैरवी का एक आधारभूत नियम होना चाहिए। इसे इस स्तर पर कतई नहीं देखा जाना चाहिए कि विषय छोटा या बड़ा है। वास्तव में एक विषय से जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है, उसके लिए विषय बड़ा ही होता है।

यह जरूर है कि जब आप छोटे विषयों को उठा रहे होते हैं तब आपके पास डेटा के स्रोत, संदर्भ के लिए बहुत ज्यादा अवसर नहीं होते हैं, उन पर तथ्यात्मक अध्ययन तैयार नहीं मिलते हैं, कई बार वह परिस्थिति अपने आप में इतनी यूनिक होती है, कि उस पर आपके अलावा और कोई संदर्भ जुटा भी नहीं सकता हैं, ऐसे में एक तरीका यह भी होता है कि आप उपलब्ध डेटा या संदर्भ को अपने विषय से जोड़कर देखें, व्यापक रूप से तैयार अध्ययन को स्थानीय स्तर पर जोड़कर देखें।

## प्रमाण और मीडिया

मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों ही सामाजिक सरोकारी भूमिका निभाते हुए सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करते हैं। उनका उद्देश्य परिस्थितियों में बदलाव कर उन्हें बेहतर बनाना है। एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया दोनों ही अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए एक दूसरे के मददगार के रुप में कार्य करते हैं। मीडिया जिस तरह से अधिक तेजी और प्रभावशीलता के साथ काम करता है, उसमें मीडिया की जवाबदेही कमोबेश तीव्र हो जाती है, इसलिए उसका हमेशा प्रमाण आधारित होना पहली शर्त होती है।

इसलिए मीडिया हमेशा सभी सम्बंधित पक्षों के कथन लेने से लेकर, उसके दस्तावेजों, फोटो और वीडियो को अपनी अनिवार्य जरूरत मानते हुए काम करता है। वहां पर भावना या सम्वेदना के आधार पर बात शुरु तो की जा सकती है, लेकिन जब तक तथ्यों से उसे मजबूती नहीं दी जाती तब तक उस पर अंतिम रूप से नहीं पहुंचा जा सकता है।

# प्रमाण और विधायिका

लोकतंत्र में प्रशासन विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सम्वैधानिक प्रावधानों के पालन से लेकर नीतिगत निर्णयों तक में विधायिका एक प्रमुख भूमिका में है। विधायिका एक प्रमाण आधारित नजरिए के साथ काम करती है, यहां जो भी तथ्य रखे जाते हैं, उन पर बहस—मुबाहिसे के जरिए कसौटी पर रखा जाता है। विधायिका के तथ्यों को सर्वाधिक मान्यता दी गई है, इसलिए उनका उपयोग जनपैरवी की प्रक्रिया में दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद के जरिए ऐसी समस्याओं के प्रमाण जमा करने में मदद ली जा सकती है, जिनका कोई डेटा उपलब्ध ही नहीं है।

विधायिका में जनप्रतिनिधि तारांकित या अतारांकित सवालों के जरिए सरकार से ऐसे तथ्यों की मांग कर सकते हैं, इनके जवाब में आई जानकारियां जनपैरवी को प्रमाण आधारित बनाने में मददगार साबित होती हो सकती हैं। दूसरे स्तर पर पहले से दी गई जानकारियों की मदद से भी जनपैरवी को प्रमाण आधारित बनाया जा सकता है। अब इन जानकारियों तक पहुंच भी आसान हो गई है, राज्यों में विधानसभाओं और संसद में लोकसभा, राज्यसभा की वेबसाइट पर ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

# प्रमाण आधारित बनाने के तरीके

**तथ्यान्वेषण ( फेक्ट फाइंडिंग ) –** समसामयिक या ज्वलंत विषयों के लिए यह सर्वाधिक अपनाया जाने वाला औजार है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चार या पांच विषय विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित लोगों का समूह उस क्षेत्र की परिस्थिति की जांच करता है और उस पर प्राथमिक रूप से सीधे लोगों से बात करके या घटना की बारीकी से जांच करते हुए तथ्यों का अन्वेषण करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है।

**सरकार के विभिन्न डेटा का उपयोग –** सरकार समय—समय पर विभिन्न विषयों पर अपना डेटाबेस तैयार करती है। इन डेटा के आधार पर सरकार विषयों का विश्लेषण करती है और अपनी नीति—रीति तैयार करती है। इनमें से बहुत सारा डेटा सार्वजनिक रूप से रखा जाता है। अब राष्ट्रीय स्तर से लेकर एक ग्राम पंचायत स्तर का भी कई तरह का डेटा इंटरनेट से खोजा जा सकता है। इन डेटा का उपयोग प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। जैसे, भारत की जनगणना अपने आप में डेटा से इतनी समृद्ध है, जिससे आप कई तरह का विश्लेषण करके देश की परिस्थिति के बारे में जान सकते हैं, हां उसके लिए थोड़ी दक्षता या विश्लेषण करने की या डेटा को अलग तरह से देखने की क्षमता जरूर विकसित करनी होती है। इसी तरह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा भी देश में बहुत सारे मानकों की कहानी कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में अपराधों की परिस्थितियों को सामने रखता है, वहीं मनरेगा की वेबसाइट से आप देश की सबसे बड़ी योजना का बारीक से बारीक डेटा निकालकर भी अपनी जनपैरवी को तथ्य आधारित बना सकते हैं।

**बजट विश्लेषण –** केन्द्र और राज्य सरकारें हर साल संसद और विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत करती हैं। इस बजट में सरकार के पूरे आय—व्यय और वित्तीय प्रावधानों का लेखा—जोखा होता है। वास्तव में किसी सरकार के बजट को देखकर ही यह विश्लेषण किया जा सकता है कि सरकार जो कह रही है या वायदे कर रही है, उसके लिए वह कितना वित्तीय प्रावधान भी कर रही है। वह सामाजिक क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटन कर रही है, उसकी प्राथमिकता क्या है? बजट पुस्तिकाएं भी अब इंटरनेट प्लेटफार्म पर बहुत आसानी से डाउनलोड की जा सकती हैं।

आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या बजट विश्लेषण करने के लिए आपको कोई विशेष दक्षता हासिल करनी पड़ेगी ? इसका जवाब है, कि यदि कर सकें तो बेहतर है। हम जिस भी खास विषयों पर काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके वित्तीय प्रावधानों पर उनकी नजर रहे। और यदि ऐसा नहीं भी कर पाएं तो देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो विशेष दक्षताओं के साथ हर साल बजट का विश्लेषण कर रिपोर्ट जारी करती हैं, हम इन संस्थाओं की मदद से भी अपनी जनपैरवी में वित्तीय प्रावधानों के तथ्य डालकर, प्रक्रिया को मजबूती दे सकते हैं।

**लोग खुद अपनी बात कहें ( लोगों की अपनी कहानियां ) –** यह सबसे बेहतर माध्यम और तटस्थ माध्यम है प्रमाण का। यह प्रक्रिया आपके पक्ष को सीधे तौर पर मजबूत बनाती है। जहां भी सम्वेदनशील विषय हों, वहां पर इस प्रक्रिया का जरूर सहारा लिया जाना चाहिए। यह लिखित या वीडियो दस्तावेजीकरण के रूप में भी हो सकता है। अब मोबाइल फोन के जरिए यह काम बहुत आसान हो गया है। जिस भी मुद्दे को हम सामने ला रहे हैं, उससे सम्बंधित लोगों के कथन हम सीधे मोबाइल पर रिकॉर्ड करके एक पक्का प्रमाण बना सकते हैं। यह काम लिखित कथन के माध्यम से भी हो सकता है। जहां पर लोग इस काम के लिए सहज न हों वहां पर उनकी कहानियों को लिखकर, उनको उनके सामने पढ़कर, उनसे सम्बंधित कागज पर हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं।

**केस स्टडीज़ –** यह एक बहुप्रचलित परम्परागत प्रमाण है। जब हम किसी ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिनसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तब यह औजार बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि हम मुद्दे से सम्बंधित सारे लोगों की बातें दर्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम उससे सम्बंधित कुछ लोगों से विस्तार से बातचीत करते हैं, परिस्थितियों को दर्ज करते हैं और उसके आधार पर बहुत सारे लोगों की बातें सामने लाने की कोशिश करते हैं। केस स्टडीज प्रभावी और प्रामाणित बन पाए इसके लिए उसमें फोटो—वीडियो आदि को जोड़ते हैं। यह एक विस्तारित कहानी होती है और माना जाता है कि ऐसी ही परिस्थिति उससे जुड़े अन्य लोगों को भी होगी।

**सूचना तकनीक के माध्यम से प्रमाण का विस्तार –** आजकल सूचना तकनीक के विस्तार ने लोगों को अपनी बात सीधे तौर पर कहने के विकल्प खोल दिए हैं। जब हम जनपैरवी की प्रक्रिया में जाते हैं तो इन्हीं सूचना तकनीक माध्यमों का प्रयोग करके अपने विषय को और विस्तार दे सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सीधे तौर पर विषय से जुड़े प्रशासनिक अमले, जनप्रतिनिधियों को उससे रूबरू करवा सकते हैं।

## रणनीतियां

**स्थानीय भाषा में प्रमाण प्रस्तुत करना –** मौलिकता के नजरिए से यह एक बेहतर रणनीति है। यह स्थानीय लोगों के हिसाब से सहज होती है। जहां भी सम्भव हो सके, वहां पर स्थानीय भाषा, बोली का उपयोग किया जाना चाहिए। इसको व्यापक बनाने के लिए उसका सरल हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी साझा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें यह भी देखना चाहिए कि हम किसके लिए और किसको सम्बोधित करते हुए प्रमाण तैयार कर रहे हैं।

**आंकड़ों/डेटा के साथ प्रस्तुत करना –** किसी भी कहानी या परिस्थिति को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करने पर उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। इसे यूं समझें कि यदि आपने अपने दस्तावेज में लिखा है कि हमारी पंचायत में मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है। और यदि इसको थोड़ी मेहनत से तैयारी करके यूं लिखें कि हमारी ग्राम पंचायत में मनरेगा

के तहत केवल दस जॉब कार्डधारियों को केवल दस दिन का ही काम मिला है, तो इन दोनों बातों में फर्क हो जाता है। यदि कहना हो कि हमारे में कुपोषण है या इसको ऐसे लिखें कि हमारे गांव की आंगनवाड़ी में दर्ज अस्सी में से साठ बच्चों को गम्भीर कुपोषण है तो इन दोनों ही बातों में फर्क हो जाता है। आप खुद तय करें आप किसे अधिक विश्वसनीय मानेंगे।

**सरल रूप में प्रस्तुत करना/इन्फोपैक –** कई बार आंकड़े ठीक वैसे नहीं होते जैसा कि आपकी जनपैरवी के मामले में मदद कर सकते हैं। कई बार इन आंकड़ों को जानबूझकर कठिन बनाया जाता है। कई बार उनकी भाषा सरल और समझने योग्य नहीं होती। वास्तव में हमें थोड़ी कवायद करके इन आंकड़ों को अपने संदर्भ में समझने और प्रस्तुत करने की जरूरत होती हैं। आंकड़े अपने आप में कुछ नहीं कहते, जब तक कि उसके साथ कोई कहानी या संदर्भ न हो। हमें उन आंकड़ों को एडवोकेसी के विषय से मिलाकर देखने और प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। इन सभी आंकड़ों, नजरियों, संदर्भों, कहानियों, केस स्टडीज को शामिल करके इंफो पैक तैयार किए जा सकते हैं। सूचना के अधिकार के माध्यम से हम अपने विषयों पर लगातार जानकारियां प्राप्त करके इसे और समृद्ध बना सकते हैं। एक ही जानकारी को अलग—अलग विभागों से प्राप्त करके भी विश्लेषण किया जा सकता है, ऐसा कई बार देखने में आया है कि एक परिस्थिति के लिए एक से अधिक इकाई दोषी होती हैं, और इन दोनों ही इकाईयों के पास एक ही परिस्थिति की अलग—अलग जानकारियां दर्ज होती हैं।

**रेपिड असेसमेंट या मैदानी सर्वे करना –** जब हमें किसी परिस्थिति पर जल्दी से जल्दी काम करना हो तो रेपिड असेसमेंट या मैदानी सर्वे किया जा सकता है। इसके आधार पर हम श्वेत पत्र तैयार कर सकते हैं, जिसमें डाटा के साथ मैदानी स्थितियों का गुणात्मक विश्लेषण भी आ सकता है। उसमें विचार/नजरिया भी जोड़ा जा सकता है।

**जानने के लिए उत्सुक रहें –** सामुदायिक काम करना एक गम्भीर जिम्मेदारी का मामला है। इसके लिए हमें मुद्दों और वास्तविकताओं की गहरी समझ होनी चाहिए। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सीएसओ को स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सभी घटनाक्रमों को जानते रहना चाहिए। वर्तमान समय में केवल स्थानीय पुलिस या घटनाएं उनके समाज को प्रभावित नहीं करती हैं, वास्तव में अधिकांश घटनाएं और परिवर्तन कहीं और हो रहे हैं।

## आधारभूत सिद्धांत

सामाजिक नागरिक संस्था होने के नाते यह जरूरी है कि हमारी टीम के सदस्य हमेशा जानने के लिए तैयार रहें। यह अतिविश्वास कि हम सब कुछ जानते हैं, एक आत्मघाती स्थिति होती है।

जिस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, उसकी बात बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनी और समझी जाना चाहिए।

संस्था के काम में समुदाय के व्यवहार या नजरिए या विचार को खारिज करना कोई लक्ष्य नहीं होता है।

जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं... उन सबका दस्तावेजीकरण करें और उसके बारे में विचार कीजिए। समुदाय जो भी कह रहा है या बता रहा है, वह एक साक्ष्य ही तो है।

जिस समुदाय के साथ या जिस विषय पर काम कर रही है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते रहना चाहिए। अगर बिना अध्ययन के कार्यवाही या पहल की जा रही है, तो अंततः वह नुकसानदायक ही साबित होगी।